उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, 9151024463
Website:www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–4227/25 दिनांक 06.05.25

ई–मेल माध्यम/अति महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
समस्त नर्सिंग/पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र
उत्तर प्रदेश।

विषय–महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम–2013 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष स्तर पर एवं विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों में नियमानुसार आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या–एम0ई0–1/2025/1034 दिनाँक 02 मई, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि समस्त नर्सिंग/पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र अपने यहाँ आन्तरिक परिवाद समिति का गठन कर समिति गठन का आदेश एवं समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्यों के विवरण के साथ संलग्न प्रारूप पर सूचना (हार्ड एवं सॉफ्ट कापी में) इस कार्यालय की ई–मेल आई0डी0 upmedicalfaculty@upsmfac.org पर तीन दिवस में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

अनुस्मारक–3

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

सचिव,
स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

संख्या–एम०ई०–1/2025/1034 लखनऊः दिनांकः 02 अप्रैल,2025

विषय–महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम–2013 के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष स्तर पर एवं विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों में नियमानुसार आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–एम0ई0–1/2024/177 दिनांक 12.01.2024 एवं पत्र संख्या–एम0ई0–1/2023/2323 दिनांक 26.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके अंतर्गत आने वाले समस्त पैरामेडिकल कालेजों में आन्तरिक परिवाद समिति का गठन कर समिति के गठन का आदेश एवं समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्यों के विवरण की संकलित सूचना सीधे महिला कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की (ई–मेल mahilautpidan1234@gmail.com) पर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। किन्तु वांछित सूचना अभी तक अप्राप्त है।

अतः प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, महिला कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–741/60–3–2023 सी–1723848/23 दिनांक 11.07.2023 की प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपसे अनुरोध है कि आपके अंतर्गत आने वाले समस्त पैरामेडिकल कालेजों में आन्तरिक परिवाद समिति का गठन कर समिति के गठन का आदेश एवं समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्यों के विवरण के साथ संलग्न प्रारूप पर सूचना (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में) इस कार्यालय की ई–मेल dgmesec1@gmail.com पर शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीलम)
अपर निदेशक

महत्वपूर्ण/मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण
संख्या–74/60–3–2023 सी–1723848/23

प्रेषक,

वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

महिला कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 11 जुलाई, 2023

विषय–मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2023 द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं :–

1- The Union of India, all State Government and Union Territories are directed to undertake a timebound excersice to verify as to whether all the concerned Ministries, Departments, Government organization, authorities, Public Sector Undertakings, institution, bodies, etc. have constituted ICCs/LCs/ICs, as the case may be and that the composition of the said Committees are strictly in terms of the provision of the PoSH Act.

2- It shall be ensured that necessary information regarding the constitution and composition of the ICCs/LCs/ICs, details of the e-mail IDs and contact number of the designated person (s), the procedure prescribed for submitting an online complaint, as also the relevant rules, regulations and internal policies are made readily available on the website of the concerned Authority/Functionary/ Organisation/Institution/Body as the case may be. The information furnised shall also be updated from time to time.

3- A similar exercise shall be undertaken by all the statutory bodies of professional at the Apex level and the State level (including those regulating doctors, lawyer, architects, chartered, accountants, cost accountant, engineers, bankers and other professional) by Universities colleges, Training Centres and educational institution and by government and private hospital/nursing homes.

4- Immediate and effective steps shall be taken by the authorities/managements/ employer to familiarize member of the ICCs/LCs/ICs with their duties and the manner in which and inquiry ought to be conducted on receiving a complaint of sexual harassment at the workplace, from the point when the complaint is received, till the inquiry is finally concluded and the Report submitted.

5- The authorities/management/employer shall regularly conduct orientation programmes, workplace, seminars and awareness programmes to upskill members of the ICCs/LCs/ICs and to educate women employees and to educate women employees and women's group about the provision of the Act, the Rules and relevant regulation.

2— मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत सिविल अपील में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये उपर्युक्त निर्देशों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत् किया जाना है :—

(i) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम—2013 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप अधिनियम की धारा—4 के अन्तर्गत किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा "आन्तरिक परिवाद समिति" (ICC) का गठन करेगा, परन्तु जहॉ कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न—भिन्न स्थानों या खण्डीय या उप खण्डीय स्थलों पर स्थित हैं, वहॉ आन्तरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जायेगी।

(ii) प्रत्येक जिलाधिकारी के द्वारा ऐसे स्थानों में जहॉ दस से कम कर्मकार होने के कारण आन्तरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गयी हो, या परिवाद स्वयं नियोजक के विरूद्ध हो, वहॉ "स्थानीय परिवाद समिति" (LCC) का गठन किया जायेगा।

(iii) आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :—

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी परन्तु किसी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध न होने की दशा में पीठासीन अधिकारी अधिनियम की उपधारा—1 में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नाम निर्देशित किया जायेगा परन्तु यदि कार्यस्थल के अन्य कार्यालय या प्रशासनिक एककों में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ख) कर्मचारियों में से दो से अन्यून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं, या जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है।

(ग) गैर सरकारी संगठनों या संगमों से ऐसे एक सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं या ऐसा कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित मुद्दों से परिचित है परन्तु इस प्रकार नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलायें होंगी।

(घ) आन्तरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(iv) गठित आन्तरिक परिवाद समितियों/स्थानीय समितियों/समितियों में नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों का विवरण, उनके ई–मेल आई0डी0 एवं दूरभाष का विवरण, आनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रकिया, संगत नियमों, उप नियमों तथा आंतरिक पालिसी इत्यादि का विवरण प्रत्येक प्राधिकारी, संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाय।

(v) उपर्युक्त कार्यवाही शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर विषय विशेषज्ञों से सम्बन्धित सभी सांविधिक निकायों (All the Statutory bodies of Professionals) यथा–डाक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, आय–व्यय लेखक, इंजीनियर्स, बैंकर्स व अन्य विषय विशेषज्ञ को विनियमित करने वाले अभिकरणों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रशिक्षण केन्द्रों और शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स आदि के द्वारा भी की जाय।

(vi) अधिकारियों/प्रबन्धकों/नियोक्ताओं द्वारा अपने कार्यालयों में गठित ICCs/LCs/ICs के सदस्यों को उनके कर्तव्यों से परिचित कराने एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच की कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट/जांच आख्या प्रस्तुत किये जाने की सम्पूर्ण प्रकिया को नियमानुसार सम्पादित किये जाने के विषय से अवगत कराये जाने हेतु तत्काल व प्रभावी कदम उठाये जाय।

(vii) आन्तरित परिवाद समितियों/स्थानीय समितियों/आन्तरिक समितियों के सदस्यों के क्षमतावर्धन एवं कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों एवं महिला समूहों को अधिनियम, 2013 एवं संगत नियमों के सम्बन्ध में शिक्षित एवं जागरूक किये जाने हेतु निरन्तर अभिमुखीकरण कार्यक्रमों, सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाय।

3– सूच्य है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013' प्रख्यापित किया गया है। यह अधिनियम प्रख्यापन की तिथि से पूरे भारत वर्ष में प्रभावी है। इस अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन हेतु शासन के पत्र संख्या–1मु0मं0/60–3–14–13(7)/14, दिनांक 09.06.2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में अपेक्षित स्तरों पर आन्तरिक परिवाद समितियों/स्थानीय परिवाद समितियों के गठन की कार्यवाही अतिशीघ्र कराने तथा अधिनियम के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा करते हुये समय–समय पर वांछित समितियों के गठन तथा शिकायतों के निस्तारण के निर्देश भी दिये गये हैं।

4– अवगतार्थ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2023 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में मुख्य सचिव महोदय की ओर से 'शपथ–पत्र' मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया जाना है।

5– उपर्युक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक

12.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013' का प्रभावी क्रियान्वयन कराये जाने हेतु **'संलग्न प्रारूप'** पर वांछित सूचना शीर्ष प्राथमिकता पर एक सप्ताह के भीतर ई–मेल आई0डी0–sdmcdwwup@gmail.com/mahilakalyan242@gmail.com पर तथा हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मुख्य सचिव महोदय की ओर से शपथ–पत्र तैयार कराकर समय से मा0 न्यायालय में दाखिल कराया जा सके।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से कि अपने विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों की समेकित सूचना निर्धारित प्रारूप में निदेशक, महिला कल्याण को ई–मेल आई0डी0–sdmcdwwup@gmail.com/mahilakalyan242@gmail.com पर प्राथमिकता पर उपलब्ध करायें।

3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4– निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि प्रकरण में वांछित सूचना यथाशीघ्र शासन को कृपया उपलब्ध करायें, जिससे मुख्य सचिव महोदय की ओर से शपथ–पत्र तैयार कराकर मा0 न्यायालय में दाखिल कराया जा सके।

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव।

uscamp/2022/ go

प्रारूप

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में दिये गये निर्देशों के कम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013' के संबंध में अपेक्षित सूचना का प्रारूप :–

विभाग का नाम–

क्र. सं.	विवरण	हाँ	नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	क्या आपके विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में अधिनियम 2013 की धारा–4 के अनुरूप नियमानुसार आन्तरिक परिवाद समितियां गठित हैं?			
2	क्या उपरोक्तानुसार गठित आन्तरिक परिवाद समितियों में नाम निर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों के ई मेल आई0डी0 एवं दूरभाष संख्या, आनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रकिया, संगत नियमों, उप नियमों तथा आन्तरिक पालिसी इत्यादि का विवरण आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है?			
3	क्या शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर विषय विशेषज्ञों से सम्बन्धित सभी संविधिक निकायों यथा–डाक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, आय–व्यय लेखकार, इंजीनियर्स, बैंकर्स व अन्य विषय विशेषज्ञों को विनियमित करने वाले अभिकरणों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रशिक्षण केन्द्रों और शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स के द्वारा अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अनुरूप आन्तरिक परिवाद समितियों का गठन करते हुये उसका विवरण इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ?			
4	क्या आपके विभाग के अधिकारियों/प्रबन्धकों/नियोक्ताओं द्वारा अपने कार्यालयों में गठित आन्तरिक परिवाद समिति के सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच की कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को नियमानुसार संपादित किये जाने के विषय से अवगत कराया गया है?			
5	क्या आपके विभाग के अधीनस्थ गठित समस्त आन्तरिक परिवाद समितियों के सदस्यों के क्षमतावर्धन एवं कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों एवं महिला समूहों को अधिनियम, 2013 एवं संगत नियमों के संबंध में शिक्षित एवं जागरूक किये जाने हेतु निरन्तर अभिमुखीकरण कार्यकमों, सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है?			

टिप्पणी–कृपया उपरोक्त सभी सूचनायें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर

(सुनील कुमार यादव)
उप सचिव